न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—30 / 13 (2013 / 00067) वाद पत्र

उनवान

1—नैनुराम आत्मज पुरा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—लक्ष्मण आत्मज पुरा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—मांगीलाल आत्मज पुरा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—केशी पत्नि पुरा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—खमाण आत्मज गोमा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—नारायण आत्मज गोमा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—कंकु पत्नि नेना रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—तुलछी पत्नि लक्ष्मण रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—सुशीला पत्नि मांगीलाल रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—देवीलाल आत्मज तेजा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन— **अधिवक्ता वादीगण**
2. हरिश टेलर, फारूख मोहम्मद — **अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

निर्णय

दिनांक 03.03.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे साबिक आराजी संख्या 909 / 3 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 909 / 5 रकबा 2 बिघा 7 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 5 बिघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है। आराजी संख्या 909 / 5 को वादीगण के पिता द्वारा दिनांक 12.02.2001 को हीरा आत्मज बख्तावर रेगर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। वादीगण को साबिक कृषि आराजियात जिसका वर्णन वादपत्र की कलम नम्बर 1 में किया गया है जो साबिक नक्शे में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की साबिक आराजी 909 / 1ख रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के पूर्वी दिशा में तथा प्रतिवादी संख्या 6 की साबिक आराजी संख्या 909 / 4 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि साबिक आराजी संख्या 909 / 1ख रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के दक्षिण में दर्ज थी तथा मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण साबिक नक्शे मुताबिक ही काबिक होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण की आराजी संख्या 909 / 5 के उत्तरी कोने ने चाह निर्माण किया है। यह है कि तहसील रायपुर में भू प्रबन्ध होने से ग्राम रायपुर का भू प्रबन्ध हुआ जिससे वादीगण की आराजी संख्या 909 / 3 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा के नवीन नम्बर 4122 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 4123 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 4124 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 4125 रकबा 0.20 है0, व साबिक आराजी संख्या 909 / 5 के रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 4126 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 4127 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 4128 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 4129

रकबा 0.10 है0, कायम किये गये। इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 909/1ख रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के नवीन नम्बर आराजी संख्या 4121 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 4134 रकबा 0.34 है0, तथा साबिक आराजी संख्या 909/4 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा के नवीन नम्बर 4135 रकबा 0.42 है0 आराजी संख्या 4138 रकबा 0.35 है0, कायम किये गये भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण की साबिक कृषि आराजियात के नवीन नम्बर कायम करते समय रकबा तो सही कायम किया परन्तु साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार दर्ज नही कर विधि विरूद्व रूप से वादीगण के नम्बरो की सीमा को नक्शे में पूर्वी दिशा में बढ़ाकर दर्ज कर दिया। वादीगण को उक्त की जानकारी होने पर सहायक लैण्ड रेकार्ड साहब के यहा धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 10/2004 होकर उसे दिनांक 27.12.2004 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय की पालना नही की जाकर भू अभिलेख रायपुर द्वारा दिनांक 26.04.2011 को एक रिपोर्ट पेश की गई। भू अभिलेख रायपुर की रिपोर्ट पेश होने के बाद वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय आपमें एक नया प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का पेश किया गया, जिसके प्रकरण संख्या 8/ 2011 होकर उसमें दिनांक 10.10.2012 को निर्णय हो गया जिसकी पालना हेतु वादीगण के द्वारा दिनांक 22.11. 2012 को माननीय आपमें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का रायपुर न पालना किये बिना कानुनी राय देते हुए दिनांक 01.01.2013 को रिपोर्ट पेश की इसके पश्चात् वादीगण दिनांक 05.01.2013 को श्रीमान् जिलाधीश महोदय को प्रकरण संख्या 10/04 व 8/2011 में पारित निर्णय की पालना कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 7 ने न्यायालय के निर्णय की पालना करने बजाय धारा 88, 188 आरटीएक्ट का वाद पत्र प्रस्तुत करने की कानुनी राय प्रकट कर दी। प्रकरण संख्या 10/2004 व प्रकरण संख्या 8/2011 के निर्णय भू अभिलेख रिपोर्ट प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2012 दिनांक 05.01.2013 तथा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 01.01.2013 तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 की रिपोर्ट दिनांक 01.01. 2013 की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है। वादीगण की सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण, विरूद्व प्रतिवादीगण, इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जावे कि वादीगण की नवीन आराजी संख्या 4122, 4123, 4124, 4125, 4226, 4127, 4128, 4129 कुल किता 8 कुल रकबा 1.18 है0 को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे के मुताबिक तरमीम करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की नवीन आराजी संख्या 4121, 4134 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है0 की नवीन नक्शे में साबिक नक्शे के मुताबिक आयताकार पट्टी के रूप में दर्ज किया जावे इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 6 की नवीन आराजी संख्या 4135 व 4138 कुल किता 2 रकबा 0.77 है0 साबिक नक्शे के मुताबिक दर्ज करने का आदेश फरमायाजाकर इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री जारी करा राजस्व रेकार्ड में अमल करायी जावे। साथ ही बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की नवीन आराजी संख्या 4123, 4127, 4128 के कुछ भाग पर नवीन नक्शे की त्रुटि के आधार पर अवैध कब्जा कर लिया है जो वादीगण को पुनः दिलाया जावें। ओर प्रतिवादीगण को पांबद फरमावे कि किसी प्रकार की दंखलदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा वादीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देंवे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 09.04.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगणो की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है प्रतिवादीगणो द्वारा

जवाब में अंकन किया कि मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण साबिक नक्शे अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है प्रतिवादीगण की आराजी का नवीन नक्शा चोड़ाई में बढ़ा दिया है जिसे दुरस्त किया जाना न्यायोचित है प्रतिवादी 1 एव 2 के द्वारा मजीद कथन के रूप में निवदेन किया कि वादीगण द्वारा पूर्व निर्णय के अनुसार पालना नही होने पर अपील नही की है। नये सिरे से आधारहीन तथ्यों पर वाद पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है। वादीगण द्वारा अपने वाद के साथ भू अभिलख निरीक्षक रायपुर के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट 26.04.2011 की प्रमाणित प्रति के साथ साथ प्रकरण संख्या 10/2004 एवं 08/2011 की प्रमाणित प्रतिया भी पेश की गई है जो शामिल पत्रावली है।

वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दोरान दोनो पक्षो द्वारा निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण साबिक नक्शे के अनुसार मौके पर काबिज है ओर उसी अनुसार नवीन नक्शे में जिन जिन नम्बरो में वादी एवं प्रतिवादीगणो का कब्जा है उसकी मौका रिपोर्ट न्यायालय से हुए पूर्व प्रकरण 10/2004 निर्णय दिनांक 27.12.2004 प्रकरण संख्या 08/2011 निर्णय दिनांक 10.10.2012 की पालना में तत्कालिन भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर द्वारा दिनांक 26.04.2011 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई उसमें वादी एवं प्रतिवादीगण जिन जिन खसरा नम्बरान पर काबिज है उसी अनुसार वाद का निस्तारण वादी एवं प्रतिवादीगणो के पक्ष में किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है ओर इसी प्रकरण के साथ में एक अन्य प्रकरण जो 116/2010 श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन है उसमें भी वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे में जों खसरा नम्बरान है उन्ही का बंटवाड़ा भी हो सकता है। इस पत्रावली के निर्णय के अनुसार प्रकरण संख्या 116/2010 में वादी एवं प्रतिवादीगणो की खातेदारी मानते हुए बंटवाड़ा किया जा सकता है।

दोनो अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के साथ पूर्व प्रकरण मे हुए निर्णय दिनांक 27.12.2004 एवं दिनांक 10.10.2012 के निर्णय का अवलोकन किया तो पाया कि वादी एवं प्रतिवादीगण साबिक नक्शे के अनुरूप अपनी अपनी भूमि पर काबिज है किन्तु नवीन भू प्रबन्ध के दोरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पक्षकारो की आराजियात का नवीन नम्बर जो बनाये गये है उसमें मौके की स्थिति से भिन्न स्थिति दर्शा दी गई है ओर नक्शे को साबिक के अनुरूप चोड़ाई में ज्यादा बढ़ाने से विवाद पैदा हुआ है पूर्व दोनो निर्णयों मे भी न्यायालय द्वारा इसी तथ्यों को स्वीकार करते हुए निर्णय पारित किया गया है जिसके अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार कर मौका रिपोर्ट दिनांक 26.04.2011 में दर्शायी गयी स्थिति एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओ की सहमति के अनुसार वादी ओर प्रतिवादीगणो के नाम दर्ज भूमि का राजस्व रेकार्ड में खातेदारी रकबे की सीमा तक दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादीगण के नाम दर्ज आराजी संख्या 4122 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 4123 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 4124 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 4127 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 4128 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 4129 रकबा 0.10 है0, को यथावत रखते हुए आराजी संख्या 4125 रकबा 0.20 है0,

मुकदमा नम्बरः—30/13 (2013/00067) वाद पत्र

आराजी संख्या 4126 रकबा 0.23 है0, के बजाय आराजी संख्या 4121 रकबा 0.46 है0 मे से 0.17 है0 एवं आराजी संख्या 4134 रकबा 0.24 है0 मे से 0.12 है0 पूर्व दिशा की ओर एवं आराजी संख्या 4126 रकबा 0.23 है0 मे से 0.11 है0 पश्चिम दिशा में आराजी नम्बर 4133 रकबा 0.20 है0 मे से रकबा 0.03 है0 इस प्रकार वादीगण के नाम पर खाते में दर्ज रकबे के अनुरूप मौके अनुसार 1.18 है0 रकबा दर्ज करते हुए वादीगण के नाम दर्ज आराजी संख्या 4125 रकबा 0.20 है0 सम्पूर्ण एवं आराजी संख्या 4126 रकबा 0.23 है0 मे से 0.12 है0 बिलानाम सरकार दर्ज किया जावे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम पर दर्ज आराजी नम्बर 4121 रकबा 0.46 है0 मे से 0.29 है0 पश्चिम दिशा में व आराजी नम्बर 4134 रकबा 0.24 है0 मे से रकबा 0.12 है0 पश्चिम दिशा मे तथा इसी सीद में आराजी संख्या 4135 रकबा 0.42 है0 मे से 0.29 है0 जो श्री देवीलाल रेगर के खाते में दर्ज है को विलोपित कर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज की जावे। प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज आराजी नम्बर 4135 रकबा 0.42 है0 के बजाय दक्षिण दिशा में 0.13 है एव आराजी नम्बर 4138 रकबा 0.35 है0 को यथावत रखते एवं बिलानाम आराजी नम्बर 4136 रकबा 0.19 है0 सम्पूर्ण, आराजी संख्या 4137 रकबा 0.18 है0 मे से उत्तरी ओर का रकबा 0.10 है0 भूमि विपक्षी संख्या 6 के नाम कुल रकबा जमाबन्दी अनुसार 0.77 है0 दर्ज की जावे ओर इसी अनुसार मौके को ध्यान में रखते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम करते हुए राजस्व रेकार्ड में पक्षकारो के नाम दर्ज की जावे तदनुसार डिक्री जारी हो। इस निर्णय की प्रति विचाराधीन प्रकरण संख्या 116/10 मे भी सलंग्न की जावे जिससे इसी निर्णय अनुसार प्रकरण संख्या 116/10 के वादीगणो के नाम दर्ज भूमि विभाजन कराने के अधिकारी रहेंगे। पत्रावली फैसेल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3.3.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–30/13 (2013/00067) वाद पत्र

उनवान

1–नैनुराम आत्मज पुरा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–लक्ष्मण आत्मज पुरा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–मांगीलाल आत्मज पुरा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–केशी पत्नि पुरा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–खमाण आत्मज गोमा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–नारायण आत्मज गोमा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–कंकु पत्नि नेना रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–तुलछी पत्नि लक्ष्मण रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–सुशीला पत्नि मांगीलाल रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–देवीलाल आत्मज तेजा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादीगण के नाम दर्ज आराजी संख्या 4122 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 4123 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 4124 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 4127 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 4128 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 4129 रकबा 0.10 है0, को यथावत रखते हुए आराजी संख्या 4125 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 4126 रकबा 0.23 है0, के बजाय आराजी संख्या 4121 रकबा 0.46 है0 मे से 0.17 है0 एवं आराजी संख्या 4134 रकबा 0.24 है0 मे से 0.12 है0 पूर्व दिशा की ओर एवं आराजी संख्या 4126 रकबा 0.23 है0 मे से 0.11 है0 पश्चिम दिशा में आराजी नम्बर 4133 रकबा 0.20 है0 मे से रकबा 0.03 है0 इस प्रकार वादीगण के नाम पर खाते में दर्ज रकबे के अनुरूप मौके अनुसार 1.18 है0 रकबा दर्ज करते हुए वादीगण के नाम दर्ज आराजी संख्या 4125 रकबा 0.20 है0 सम्पूर्ण एवं आराजी संख्या 4126 रकबा 0.23 है0 मे से 0.12 है0 बिलानाम सरकार दर्ज किया जावे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम पर

मुकदमा नम्बरः—30/13 (2013/00067) वाद पत्र

दर्ज आराजी नम्बर 4121 रकबा 0.46 है0 मे से 0.29 है0 पश्चिम दिशा में व आराजी नम्बर 4134 रकबा 0.24 है0 मे से रकबा 0.12 है0 पश्चिम दिशा मे तथा इसी सीद में आराजी संख्या 4135 रकबा 0.42 है0 मे से 0.29 है0 जो श्री देवीलाल रेगर के खाते में दर्ज है को विलोपित कर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज की जावे। प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज आराजी नम्बर 4135 रकबा 0.42 है0 के बजाय दक्षिण दिशा में 0.13 है एव आराजी नम्बर 4138 रकबा 0.35 है0 को यथावत रखते एवं बिलानाम आराजी नम्बर 4136 रकबा 0.19 है0 सम्पूर्ण, आराजी संख्या 4137 रकबा 0.18 है0 मे से उत्तरी ओर का रकबा 0.10 है0 भूमि विपक्षी संख्या 6 के नाम कुल रकबा जमाबन्दी अनुसार 0.77 है0 दर्ज की जावे ओर इसी अनुसार मौके को ध्यान में रखते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम करते हुए राजस्व रेकार्ड में पक्षकारो के नाम दर्ज की जावे तदनुसार डिक्री जारी हो। इस निर्णय की प्रति विचाराधीन प्रकरण संख्या 116/10 मे भी सलंग्न की जावे जिससे इसी निर्णय अनुसार प्रकरण संख्या 116/10 के वादीगणो के नाम दर्ज भूमि विभाजन कराने के अधिकारी रहेंगे। पत्रावली फैसेल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 03.03.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

3.3.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.12 15:03:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: